प्रकरण
पेश करने मे
पत्रावली
पेश हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानू

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम ....

अदालत .... बनाम ....

.... नं. .... सन् ....

नम्बर मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
4.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष की बहस प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी. पर सुनी गई. वकील वादी ने अपनी बहस प्रा.पत्र के अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 5 चुन्ना पिता किशना जाट, प्रतिवादी सं. 11. मूला उर्फ पूजन व प्रतिवादी सं. 14 मूला पिता भैरू का निधन हो गया है। जिसकी जानकारी न्यायालय द्वारा सूचना पत्र भेजे जाने पर हुई. उक्त प्रतिवादी मृतकों की जानकारी मिलते ही वादीगण ने यह प्रा.पत्र अन्दर अवधि मे पेश किया है। अतः प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विधिक वारीसानो को रिकार्ड पर लिया जावे। पत्रावली मे अपनी जवाबी बहस मे वकील प्रतिवादी ने इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रकरण मे कौन से सूचना पत्र से प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी मे आया, एवं वादी ने प्रा.पत्र समय अवधि मे पेश नही किया है। व मृतक प्रतिवादी गण की मृत्यु की तारीख का भी अंकन किया नही गया है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी गण एक ही जाति एवं एक ही परिवार के व्यक्ति है। वादी द्वारा प्रा.पत्र समयावधि मे पेश नही किया एवं न ही समयावधि को कंडोन किये जाने बाबत् कोई प्रा.पत्र ही पेश किया इस लिए वादी का वाद अबेट हो चुका है। अतः जवाब प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा अबेट किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया प्रकरण न्यायालय श्रीमान से पुनः प्राप्त होकर इस न्यायालय मे दिनांक 26-8-18 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस मे सूचना पत्र से प्रतिवादीयों की मृत्यु होने की जानकारी हुई, जबकि वादी को उक्त प्रतिवादीयों की मृत्यु होने की जानकारी हो चुकी थी। उक्त प्रतिवादीयो की	

मृत्यु कब किस दिनांक को हुई इस की जानकारी का दायित्व

वादी का होता है। व वादी ने प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 4 जा. दी के साथ धारा 05 मियाद अधि. का भी पेश नही किया है। एवं मृतक प्रतिवादी स. 14 फूला पिता भैरू के विधिक वारिसान प्रभुलाल पिता भैरू किस प्रकार से वारिस बना। ये भी स्पष्ट नही किया है। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन व वाद पत्र मे वादीगण द्वारा पारिवारीक वंशवृक्ष (शजरा) जो दर्शाया गया है। इससे ये प्रतित होता है, कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जब वादीगण अपने वाद पत्र मे सजरे मे वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होना स्वीकार है। तो ये कैसे मान लिया जावे। प्रतिवादी स. 05, 11, 14 की मृत्यु होने की जानकारी नही है। प्रकरण मे वादी ने जानबूझकर प्रतिवादीयों की मृत्यु होने कि दिनांक का अंकन नही किया है, और न ही प्रकरण मे धारा 05 मियाद अधि. का प्रा.पत्र भी पेश नही किया है। जब कि CPC के प्रावधानो के अनुसार मृतक के विधिक वारिसान को 90 दिन की अवधि के अन्दर रिकार्ड पर लिया जाना अवश्यक होता है। अतः वाद वादीगण का अबेट किया जाने योग्य है। अतः वादीगण का प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी का प्रकरण मे वादीगण द्वारा प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा. दी. मे प्रतिवादी स. 05 पूना पिता किशना, प्रतिवादी स. 11 फूमा व प्रतिवादी स. 14 फूला पिता भैरू की मृत्यु दिनांक का अंकन नही किया जाने से व धारा 05 मियाद अधि. का प्रा.पत्र पेश नही करने से विधिक वारिसान को समय अवधि मे रिकार्ड पर नही लेने का मानते हुए वाद वादीगण का वाद अबेट [समाप्त] किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-